# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 – **34 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** विजयी व एक अन्य

मु0अ0सं0–**102** सन **2024**
धारा–115(2), 352, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता
थाना–जमालपुर, जिला–मीरजापुर।

## आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **विजयी** व **नगीना** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 22.10.2024 को समय करीब 12:30 बजे दोपहर, बहदस्थान जमालपुर, क्षेत्रान्तर्गत थाना जमालपुर, जनपद मीरजापुर में आप लोगों ने साशय सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा दुलारी देवी के पति राजेश बियार को लाठी–डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–115(2) सपठित धारा–3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा दुलारी देवी के पति राजेश बियार को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–352 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा दुलारी देवी के पति राजेश बियार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–351(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने साशय वादिनी मुकदमा दुलारी देवी के पति राजेश बियार को लाठी–डण्डा से मारकर सिर में गंभीर चोटें पहुंचायी और उन्हीं चोटों के कारण राजेश बियार की दौरान इलाज दिनांक 25.10.2024 को मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया गया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–105 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–31.01.2025

**(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)**
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
**ID No.: UP6030**

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–31.01.2025

**(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)**
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
**ID No.: UP6030**

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।**

सत्र परीक्षण सं0 — **34 सन 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** विजयी व एक अन्य

मु0अ0सं0—**102** सन **2024**
धारा—115(2), 352, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता
थाना—जमालपुर, जिला—मीरजापुर।

**31.01.2025**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त विजयी जेरे हिरासत तथा अभियुक्ता नगीना व्यक्तिगत रुप से मय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण विजयी व नगीना के विरूद्ध धारा—115(2)/3(5), 352, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण विजयी व नगीना के विरूद्ध धारा—115(2)/3(5), 352, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.02.2025 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।